मैसर्स एसबीईसी शुगर लिमिटेड और एएनआर।

बनाम

भारत संघ एवं ओआरएस.

(2006 की सिविल अपील संख्या 2899)

7 फरवरी 2011

[डी.के. जैन और एच.एल. दत्तू, जे.जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 -एस.एस. 72(1)(बी), 68 और 15(1)(बी) -आयातित माल को गोदाम से अनुचित तरीके से हटाया गया शुल्क की दर -माना: जब अनुमत अवधि की समाप्ति या उसके अनुमत विस्तार के बाद माल को गोदाम से हटा दिया जाता है, माना जाता है कि सामान को धारा72(1)(बी) के तहत अनुचित तरीके से हटाया गया है। -शुल्क की दर की गणना धारा 61 के तहत अनुमत अवधि की समाप्ति की तारीख पर लागू दर के अनुसार की जानी है। -धारा 15(1)(बी) जिसके तहत शुल्क की दर की गणना उस तारीख पर लागू दर और मूल्यांकन के अनुसार की जाती है जिस दिन माल वास्तव में गोदाम से निकाला जाता है, केवल तभी लागू होगा जब माल को गोदाम से मंजूरी दे दी जाएगी धारा 68 के अनुरूप, प्रारंभिक अनुमत अवधि के भीतर या अनुमत विस्तारित अवधि के

दौरान -तथ्यों पर, निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान योजना के संदर्भ में शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ आयातक को उपलब्ध नहीं था क्योंकि भंडारण अवधि की समाप्ति के बाद माल को धारा 72 के तहत हटा दिया गया था न कि धारा68 के अंतर्गत।और, इस प्रकार, एस. 15(1)(बी) लागू नहीं होती।

अपीलकर्ता नंबर 1. ने अपनी चीनी विनिर्माण इकाई के लिए कुछ पूंजीगत सामान का आयात किया। अपीलकर्ता संख्या 1-आयातक ने इन सामानों को बॉन्ड के तहत गोदाम में रखने का विकल्प चुना। आयातक ने उक्त सभी खेपों के संबंध में बांड अवधि के विस्तार के लिए आवेदन किया और उसे अस्वीकार कर दिया गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान योजना (ईपीसीजी) योजना को कृषि आधारित उद्योगों तक लागू कर दिया है। कृषि-उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुएँ, जैसे चीनी और ईपीसीजी लाइसेंस के अंतर्गत आने वाली वस्तुआेंं को संपूर्ण सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी, और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 3 के संदर्भ में अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। सीमा शुल्क अधीक्षक ने धारा के तहत मांग उठाई। अधिनियम के 72 में आयातक को निर्धारित अवधि के भीतर सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों के पूर्ण भुगतान पर बांड के तहत कवर किए गए सामान को खाली करने का निर्देश दिया गया है। अपीलकर्ता नंबर 1 ने ईपीसीजी योजना के तहत लाइसेंस प्राप्त किया, और गोदाम में पड़े माल की घरेलू

खपत के लिए एक्स-बांड निकासी के लिए प्रवेश के तीन बिल दाखिल किए। उस समय तक बांड की अवधि समाप्त हो चुकी थी और आयातक के खिलाफ गोदाम में पड़े माल के कारण लगने वाले सीमा शुल्क की पूरी राशि, ब्याज, जुर्माना आदि के साथ भुगतान की मांग की जा चुकी थी। अपीलकर्ता नंबर 1 ने सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त को यह कहते हुए एक अभ्यावेदन दिया कि चूंकि ईपीसीजी लाइसेंस के तहत माल पर शून्य शुल्क लगाया जाता है, इसलिए कोई ब्याज नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता नंबर 1 ने तीन खेपों के संबंध में ब्याज की मांग को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त ने शुल्क और ब्याज लगाए जाने की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया कि वे आयातक को ब्याज के भुगतान के बिना बांड निष्पादित करने पर खेप को हटाने की अनुमति दें लेकिन अन्य शुल्कों के भुगतान पर। अपीलकर्ता क्रमांक 1 ने पुष्टिकरण आदेश को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी. इसने विभाग को प्रवेश के बिल के अंतर्गत आने वाले सामानों के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा देय सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों का अंतिम आकलन करने का निर्देश दिया। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने तत्काल अपील दायर की।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारितकिया

1.1 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि भंडारण सीमित अवधि के लिए मान्य है, जैसा कि धारा 61 की उपधारा (1) (ए) और (1)(बी) में किया गया है; और एेसी अवधि को पर्याप्त कारण दिखाने पर बढ़ाई जा सकती है। हालाँकि, उप-धारा (2) के संचालन से, शुल्क की राशि पर ब्याज अनुमेय अवधि की समाप्ति की अवधि से गोदाम से निकासी की तारीख तक देय है, भले ही माल गोदाम में समय से अधिक समय तक रहा हो विस्तार या अन्य कारणों की वजह से। [पैरा 19] [597-एच; 598-ए-बी]

केसोराम रेयॉन बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, कलकत्ता (1996) **5 एससीसी 576 -भरोसा किया गया।**

1.2 धारा 68 घरेलू उपभोग के लिए गोदाम में रखे गए माल की निकासी से संबंधित है और प्रावधान करती है कि किसी भी गोदाम में रखे गए माल का आयातक घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी कर सकता है यदि: (1) उक्त माल के घरेलू उपभोग के लिए आयात पत्र (बिल आफ एन्टरी) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है प्रपत्र, (ii) ऐसे माल पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क, ऐसे माल के संबंध में देय सभी दंड, किराया, ब्याज और अन्य शुल्क का भुगतान किया गया है, और (iii) उचित अधिकारी ने ऐसे माल की निकासी के लिए आदेश दिया है। धारा 68 के तहत मंजूरी प्राप्त माल के संबंध में, अधिनियम की धारा 15(1)

(बी) में प्रावधान है कि शुल्क की दर की गणना उस तारीख पर लागू दर और मूल्यांकन के अनुसार की जाएगी जिस दिन माल वास्तव में गोदाम से निकाला जाता है। [पैरा 20] [598-सी-ई]

डी.सी.एम एवं अन्य. बनाम भारत संघ और अन्य **1995 सप्लीमेंट (3) एससीसी 223 पर भरोसा किया गया।**

1.3 यह स्पष्ट है कि धारा 15(1) (बी) केवल तभी लागू होगी जब माल अधिनियम की धारा 68 के तहत गोदाम से निकाला जाता है, यानि, प्रारंभिक अनुमत अवधि के भीतर या अनुमत विस्तारित अवधि के दौरान। जब माल गोदाम से अनुमत अवधि की समाप्ति या उसके अनुमत विस्तार के बाद निकाला जाता है तो माल को अधिनियम की धारा 72(1)(बी) के तहत अनुचित तरीके से हटाया गया माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क की दर की गणना उस पर लागू दर के अनुसार धारा 61 के तहत अनुमत अवधि की समाप्ति की तारीख पर की जाएगी। । [पैरा 23] [600-सी-ई]

1.4 हालांकि यह सच है कि ईपीसीजी योजना के तहत दिए गए लाइसेंस की शर्त 6 उन सामानों के लिए वैध थी जो पहले ही भेज दिए गए थे लेकिन जिनकी मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन, पहले से ही आयातित सामानों के लिए योजना के तहत दी गई छूट का लाभ केवल उसी के संबंध में उपलब्ध होगा जिन वस्तुओं की अधिनियम की धारा 68

के तहत मंजूरी दी गई है। उक्त खंड की कोई भी अन्य व्याख्या धारा 72 को निरर्थक बना देगी, और इसके परिणामस्वरूप उक्त योजना एक माफी योजना के रूप में काम करेगी, जिससे आयातक को एक अनपेक्षित और अनुचित लाभ मिलेगा, जिसे आमतौर पर टाला जाना चाहिए। यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि क़ानून के प्रावधानों के साथ किसी भी टकराव को रोकने के लिए अधिसूचना के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता. [पैरा 24 और 25] [600-एफ-एच; 601-ए-सी]

महाराष्ट्र राज्य और अन्य। बनाम स्वानस्टोन मल्टीप्लेक्स सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड **(2009) 8 एससीसी 235**; गुडुर किशन राव और अन्य। बनाम सुतीर्थ भट्टाचार्य और अन्य। **(1998) 4 एससीसी 189**; केसोराम रेयॉन बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता **(1996) 5 एससीसी 576 - पर भरोसा किया गया।**

प्रतिभा प्रोसेसर्स और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य **(1996) 11 एससीसी 101 विशिष्ट।**

केस कानून संदर्भ:

(1996) 5 एससीसी 576 पर भरोसा किया गयापैरा 19, 25

1995 सप्लीमेंट (3) एससीसी 223 पर भरोसा किया गया पैरा 20

(2009) 8 एससीसी 235 पर भरोसा किया गया पैरा 24

(1998) 4 एससीसी 189 पर भरोसा किया गया पैरा 24

(1996) 11 एससीसी 101 पर भरोसा किया गया पैरा 25

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील संख्या 2899।

1998 की रिट याचिका संख्या 775 में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.04.2006 से।

साथ

सीए। 2006 की संख्या 2900।

अपीलकर्ताओं के लिए एस. गणेश, रोहिना नाथ, प्रियदीप, उमेश कुमार खेतान।

प्रतिवादियों की ओर से हरीश चंदर, अरिजीत प्रसाद, अनिल कटियार, बी. कृष्णा प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय **डी.के. जैन, जे. के द्वारा** सुनाया गया

1. ये अपीलें, अनुमति की मंजूरी द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 3 अप्रैल, 2006 के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने दो रिट याचिकाओं (नंबर 775 और 4173 की 1998) को खारिज कर दिया है। जाे कि यहां अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किया गया है, और सीमा शुल्क के सहायक

आयुक्त, बॉन्ड विभाग को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश के विषय बिल के तहत कवर किए गए सामान के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा देय सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों का अंतिम आकलन करें। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि यदि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा सीमा शुल्क, ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान ऐसे निर्धारण और संचार की तारीख से दो सप्ताह के भीतर नहीं किया जाता है, तो सीमा शुल्क अधिकारी कंपनी द्वारा न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार निष्पादित बांड को लागू करेंगे।।

2. चूंकि अपीलों में कानून का एक सामूहिक प्रश्न शामिल है और वास्तव में बाद वाला आदेश पहले वाले पर आधारित है, इन्हें इस सामूहिक निर्णय द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। हालाँकि, इसमें शामिल विवाद की सराहना करने के लिए, सुविधा की दृष्टि से सी.ए. क्रमांक 2899/2006 से सामने आए तथ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। जो इस प्रकार हैः-

अपीलकर्ता संख्या 1. (बाद में इसे "आयातक" के रूप में संदर्भित किया गया है) एक कॉर्पोरेट निकाय, चीनी के निर्माण में लगा हुआ है। अपीलकर्ता संख्या 2 प्रथम अपीलकर्ता का उपाध्यक्ष है। चीनी विनिर्माण इकाई स्थापित करने की दृष्टि से, आयातक ने कुछ पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया। घरेलू उपभोग के लिए माल जारी करने के बजाय, आयातक ने इन सामानों को बॉन्ड के तहत गोदाम में रखने का विकल्प चुना।

वर्तमान अपील तीन खेपों के बांड संख्या सीडब्ल्यू-20-4732 26 दिसंबर, 1995, सीडब्लू-20-4733 दिनांक 26 दिसंबर, 1995 और सीडब्लू-20-4842 दिनांक 2 जनवरी, 1996, जो क्रमशः 25 दिसंबर, 1996, 25 दिसंबर, 1996 और 1 जनवरी, 1997 को समाप्त होने वाले थे तक सीमि है। यह ध्यान देने योग्य है कि मूल बांड और प्रवेश बिलों पर, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त ने बांड की समाप्ति की तारीख से 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान के लिए एक तस्दीक किया है।

3. 19 दिसंबर, 1996 को आयातक ने उपरोक्त सभी खेपों के संबंध में बांड अवधि को छह महीने तक बढ़ाने के लिए एक आवेदन किया। हालाँकि, उक्त अनुरोध को सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त ने 13 जनवरी, 1997 के पत्र के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आवेदन बांड विभाग में बांड की वर्तमान अवधि की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले प्राप्त नहीं हुआ था और न ही गोदाम के सीमा शुल्क अधिकारी/कर्मचारी द्वारा एक परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ जाे कि सार्वजनिक सूचना संख्या 102/96 दिनांक 5 जून, 1996 के पैरा 2(i)(iii) में निर्धारित अनिवार्य नियम और शर्तें है बांड अवधि के विस्तार के लिए प्रार्थना की अस्वीकृति के बावजूद आयातक ने 21 जनवरी, 1997 को 21 अप्रैल, 1997; 20 मई, 1997, 26 मई, 1997 और 27 मार्च 1997 को अभ्यावेदन उत्तरदाताओं को पुनः विचार करने का अनुरोध करना तथा उनके

बांड की अवधि बढ़ाने और सामान की नीलामी के लिए नोटिस जारी नहीं करने का अनुरोध जारी रखा।

4. इस बीच, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 25(1) के तहत जारी अधिसूचना संख्या 29/97 दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के माध्यम से, केंद्र सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तुओं को योजना (संक्षेप में "ईपीसीजी योजना") कृषि आधारित उद्योगों के लिए 1997-2002 की अवधि के लिए बढा दिया। अधिसूचना का प्रभाव यह हुआ कि चीनी जैसे कृषि उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली और ईपीसीजी लाइसेंस के अंतर्गत आने वाली पूंजीगत वस्तुओं को पूरे सीमा शुल्क के भुगतान एवं अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने से धारा 3 अधिनियम के अनुसरण में छूट दी गई थी जो 1 अप्रैल, 1997 से प्रभावी होगा। ईपीसीजी योजना वाले एक्ज़िम पॉलिसी के अध्याय 6 के पैरा 6.6 में प्रावधान है कि:

"इस योजना के तहत जारी किया गया लाइसेंस पहले से भेजे गए/आए हुए माल के लिए मान्य होगा, बशर्ते कि सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो और माल को सीमा शुल्क से मंजूरी नहीं मिली हो।"

5. 22 अगस्त, 1997 को ईपीसीजी योजना के तहत आयातक को 10% की दर से रियायती शुल्क की अनुमति देने वाला लाइसेंस जारी

किया गया था। आयातक के आवेदन पर, उक्त लाइसेंस को सुधारा गया और "शून्य शुल्क" के रूप में पृष्ठांकित किया गया।

6. अधिनियम की धारा 72(1) के तहत जारी आदेश दिनांक 26 सितंबर, 1997 के माध्यम से, सीमा शुल्क अधीक्षक ने आयातक को बांड संख्या सीडब्ल्यू-20-4842 दिनांक 2 जनवरी, 1996 के तहत कवर किए गए माल को निकालने के लिए 15 दिनों की अवधि के भीतर सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों का पूरा शुल्क करने पर भुगतान करने का निर्देश दिया।

7. 14 जनवरी, 1998 को, आयातक ने एक बांड निष्पादित किया और 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 29/97 के तहत आवश्यक शुल्क के 100% के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत की। ईपीसीजी योजना के तहत लाइसेंस प्राप्त कर 21 जनवरी, 1998 को आयातक ने गोदाम में पडे घरेलू उपभोग के माल की पूर्व-बांड निकासी के लिए तीन आयात पत्र जमा किए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उस समय तक तीन खेपों के संबंध में बांड की अवधि समाप्त हो चुकी थी और गोदाम में पड़े माल के कारण लगने वाले सीमा शुल्क की पूरी राशि, ब्याज, जुर्माना आदि के साथ भुगतान की मांग पहले ही उठाई जा चुकी थी। आयातक के विरुद्ध. 5 और 9 फरवरी, 1998 को आयातक ने सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त को एक अभ्यावेदन दिया जिसमें कहा गया कि चूंकि ईपीसीजी लाइसेंस के तहत माल पर शून्य

शुल्क लगाया गया था, इसलिए उस पर ब्याज लगाने का कोई सवाल ही नहीं था।

8. 17 मार्च, 1998 के पत्र के माध्यम से, सीमा शुल्क उपायुक्त ने आयातक को सूचित किया कि ब्याज की छूट के लिए उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। व्यथित होकर, 3 अप्रैल, 1998 को आयातक ने तीन खेपों के संबंध में ब्याज की मांग पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (रिट याचिका संख्या 775/1998) दायर की।

9. 30 मार्च, 1998 को, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त ने एक आदेश जारी किया, जिसमें शुल्क और ब्याज की राशि `1,01,03,535/-, साथ में 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने की पुष्टि की गई, जो आदेश अपीलकर्ताओं के अनुसार उन्हें 7 अप्रैल 1998 को प्राप्त हुआ।

10. 29 अप्रैल, 1998 को, उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया कि वे आयातक को ब्याज के भुगतान के बिना बांड निष्पादित करने पर खेप को निकाले जाने की अनुमति दें, लेकिन अन्य शुल्कों के भुगतान पर।

11. 30 मार्च, 1998 का पुष्टिकरण पत्र प्राप्त होने पर, आयातक ने 5 अगस्त, 1998 को चैंबर समन संख्या 72/1998 दायर करके रिट

याचिका में संशोधन करके उक्त पुष्टिकरण आदेश को चुनौती देने की मांग की।

12. जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया है:

"19. केसोराम रेयान मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि दो बांड के संबंध में बांड की अवधि 25 दिसंबर, 1996 को और तीसरे बांड के संबंध में1 जनवरी, 1997 को समाप्त हो गई थी। निर्विवाद रूप से, कंपनी द्वारा 19 दिसंबर, 1996 को बांड अवधि के विस्तार के लिए किया गया आवेदन 13 जनवरी, 1997 को खारिज कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में विवाद नहीं है कि धारा 72 के तहत शुल्क की राशि का भुगतान करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा 26 जून, 1997 बंधित अवधि की समाप्ति के बाद बंधित गोदाम में पड़े रहने वाले विषय वस्तु के संबंध मेंमांग की थी। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने 26 जनवरी 1997 के नोटिस के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 के तहत की गई उक्त मांग को चुनौती नहीं दी है। बांड अवधि की समाप्ति पर, जैसा कि ऊपर देखा गया है, विषय वस्तु को गोदाम से धारा 72 के तहत अनुचित तरीके से हटाया गया माना जाएगा। यह अनुचित निष्कासन तब भी हुआ जब माल अनुमत विस्तार की स्वीकृत

अवधि के बाद भी गोदाम में पड़ा रहा। इस प्रकार, 21 जनवरी, 1998 को कंपनी आयात पत्र दाखिल किए जाने के समय, उचित अधिकारी को बांड अवधि की समाप्ति की तारीख से शुल्क और उस पर देय ब्याज की गणना करना उचित था। दरअसल, कंपनी को पता था कि शुल्क की गणना संबंधित अधिकारी द्वारा बिल ऑफ एंट्री आयात पत्र के पीछे ब्याज सहित की गई है, लेकिन इस तथ्य को छिपा दिया गया है।

20. इमारत का निर्माण रिट याचिका में गलत आधार पर किया गया है कि माल पर कोई शुल्क देय नहीं था और चूंकि माल पर कोई शुल्क देय नहीं था, इसलिए कोई ब्याज नहीं लगाया जा सकता था या मांग नहीं की जा सकती थी क्योंकि ब्याज केवल मूलधन का सहायक है और यदि मूलधन देय नहीं है ब्याज देय नहीं है। ब्याज की मांग को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने गलत तथ्यों को रखा है कि 1 अप्रैल की अधिसूचना के आधार पर शुल्क देय नहीं था तथा 1997 और ईपीसीजी योजना के तहत कंपनी को लाइसेंस जारी किया गया और उस पर शून्य शुल्क की पुष्टि की गयी।

21. उपरोक्त तथ्यों पर गौर करने के बाद, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि धारा 68 और परिणामस्वरूप धारा 15(1)(बी) के प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि माल को बांड अवधि के भीतर गोदाम से नहीं निकाला था। बेशक, कोई विस्तार नहीं दिया गया। जहां

तक दो खेपों का सवाल है, 25 दिसंबर 1996 के बाद गोदाम में माल रहने के कारण और तीसरी खेप के संबंध में 1 जनवरी 1997 के बाद, माल को धारा 72 के तहत गोदाम से अनुचित तरीके से हटा दिया गया माना जाएगा और उचित अधिकारी द्वारा कंपनी को उन पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए कहना उचित था, जो बांड अवधि समाप्त होने की तारीख पर लागू दर पर देय हो सकता है। वास्तव में, 26 सितंबर, 1997 को धारा 72 के तहत की गई मांग को कोई चुनौती नहीं है, जिसमें कंपनी को जुर्माना, किराया, ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ विषय वस्तु के कारण शुल्क की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। हमें आश्चर्य है कि उत्तरदाताओं ने कंपनी को केवल बांड के निष्पादन पर माल हटाने की अनुमति दी, हालांकि 29 अप्रैल, 1998 के आदेश द्वारा न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को ब्याज के भुगतान के बिना लेकिन अन्य शुल्क देने पर उनके निष्पादन बांड पर माल हटाने की अनुमति दी थी। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा पारित 29 अप्रैल, 1998 के अंतरिम आदेश के अनुसार, ब्याज की मांग को छोड़कर, कंपनी शुल्क की पूरी राशि सहित अन्य सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, जैसा कि नोटिस दिनांक 26 सितंबर, 1997 में मांग की गई थी।"

13. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस आदेश के बाद दूसरी रिट याचिका भी खारिज कर दी गई।

14. अत: वर्तमान अपील करता है।

15. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. गणेश ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि इस न्यायायल के प्रतिभा प्रोसेसर्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के फैसले के आलोक में आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से गलत हैं। जिसमें इस न्यायालय ने पाया था कि यदि छूट के संचालन से निकासित किया गया माल शुल्क मुक्त था और यदि निकासी के समय आयातित माल पर कोई शुल्क वसूली योग्य नहीं था, तो धारा 61(2) अधिनियम के तहत उस पर कोई ब्याज देय नहीं था। यह जोरदार तर्क दिया गया कि मौजूदा मामले में माल को धारा 68 के तहत गोदाम से हटा दिया गया था और अधिनियम की धारा 72 के तहत आदेश के आधार पर नहीं हटाया गया था और इसलिए, धारा 15(1) (बी) अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुएछूट अधिसूचना संख्या 29/97 के आधार पर, माल हटाने की तिथि पर, उस पर कोई शुल्क देय नहीं था। यह दावा किया गया कि केसोराम रेयान बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता में इस न्यायालय के निर्णय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्भरता स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि वर्तमान मामले के विपरीत, उस मामले में सामान अधिनियम की धारा 72 के तहत आदेश के आधार पर हटा दिया गया था।

16. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकीलश्री हरीश चंदर ने आक्षेपित निर्णयों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि ईपीसीजी योजना के संदर्भ में शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ आयातक को उपलब्ध नहीं था क्योंकि बाद में भंडारण अवधि की समाप्ति पर, माल को धारा 72 के तहत हटा दिया गया था, न कि अधिनियम की धारा 68 के तहत और इसलिए, अधिनियम की धारा 15(1)(बी) का कोई उपयोग नहीं था। इस बात पर जोर दिया गया कि सभी खेपों को हटाना 26 सितंबर, 1997 के डिमांड नोटिस के आधार पर किया गया था, जिस पर 3 अप्रैल, 1998 को दायर रिट याचिका में सवाल नहीं उठाया गया था और इसलिए, केसोराम रेयॉन (सुप्रा) में निर्धारित आदेश वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल लागू था।

17. वैधानिक प्रावधानों के आलोक में मामलों पर विचार करने के बाद, हमारी सुविचारित राय है कि इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है।

18. अधिनियम की धारा 61 उस अवधि को निर्धारित करती है जिसके लिए माल गोदाम में रखा जा सकता है। जहाँ तक प्रासंगिक है, यह इस प्रकार है:

"61. अवधि जिसके लिए माल गोदाम में रखा जा सकता है।- (1) किसी भी गोदाम में रखे गए माल को उस गोदाम में छोड़ा जा सकता है

जिसमें वे जमा किए जाते हैं या किसी गोदाम में जहां उन्हें हटाया जा सकता है, -

(ए) के मामले में-

(i) गैर-उपभोज्य भंडार; या

(ii) किसी विदेशी राजनयिक मिशन को आपूर्ति के लिए अभिप्रेत माल; या

(iii) धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार किसी विनिर्माण प्रक्रिया या अन्य संचालन में उपयोग के लिए इरादा सामान; या

(iv) किसी शत-प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम में उपयोग के लिए इच्छित माल; या

(v) वे सामान जिन्हें केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट कर सकती है,

एक वर्ष की समाप्ति तक.

स्पष्टीकरण- उप-खंड (iv) के प्रयोजनों के लिए, 'सौ प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम' का वही अर्थ है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1) की धारा 3 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में है। 1944) (बी) किसी अन्य सामान के मामले में, उस तारीख के बाद तीन

महीने की समाप्ति तक, जिस दिन उचित अधिकारी ने धारा 60 के तहत एक आदेश दिया था जिसमें माल को गोदाम में जमा करने की अनुमति दी गई थी:

उसे उपलब्ध कराया-

(ii) ऐसे किसी भी सामान के मामले में, जिसके खराब होने की संभावना नहीं है, एक वर्ष या तीन महीने की उपरोक्त अवधि, जैसा भी मामला हो, पर्याप्त कारण बताए जाने पर, सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा एक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है। छह महीने से अधिक नहीं और बोर्ड द्वारा ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जो उचित समझी जाए:

... .

(2) जहां उपरोक्त अवधि के विस्तार के कारण या अन्यथा, उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट एक वर्ष या तीन महीने की अवधि से परे कोई गोदाम में रखा माल गोदाम में रहता है, ऐसी दर पर ब्याज, जो कि बोर्ड द्वारा फिलहाल तय की गई है, अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से अवधि के लिए गोदाम में रखे गए माल पर शुल्क की राशि पर देय होगी। मामले में, गोदाम से माल की निकासी की तारीख तक तीन महीने लग सकते हैं:

बशर्ते कि बोर्ड, यदि वह सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, विशेष आदेश द्वारा और ऐसे आदेश में निर्दिष्ट असाधारण

प्रकृति की परिस्थितियों में, इस उप-के तहत देय किसी भी ब्याज का पूरा या आंशिक हिस्सा माफ कर सकता है। किसी भी गोदाम में रखे गए माल के संबंध में अनुभाग।"

19. उपरोक्त अनुभाग को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि भंडारण एक सीमित अवधि के लिए अनुमत है, जैसा कि धारा 61 की उप-धाराओं (1) (ए) और (1) (बी) के तहत विचार किया गया है; और इसके लिए पर्याप्त कारण दिखाने पर ऐसी अवधि बढ़ाई जा सकती है। हालाँकि, उप-धारा (2) के संचालन से, शुल्क की राशि पर ब्याज अनुमेय अवधि की समाप्ति की अवधि से गोदाम से निकासी की तारीख तक देय है, भले ही माल गोदाम में समय से परे रहा हो, अनुमत अवधि के बाद विस्तार या अन्य कारणों से। [देखें: केसोराम रेयॉन (सुप्रा)]

20. धारा 68 घरेलू उपभोग के लिए गोदाम में रखे गए माल की निकासी से संबंधित है और प्रावधान करती है कि किसी भी गोदाम में रखे गए माल का आयातक घरेलू उपभोग के लिए माल को खाली कर सकता है यदि: (i) उक्त माल के घरेलू उपभोग के लिए आयात पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रवेश का बिल प्रस्तुत किया गया है, (ii) ऐसे माल पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क, ऐसे माल के संबंध में देय सभी दंड, किराया, ब्याज और अन्य शुल्क का भुगतान किया गया है, और (iii) उचित अधिकारी ने ऐसे सामान की निकासी के लिए आदेश दिया है चीज़ें। धारा 68 के तहत मंजूरी

प्राप्त माल के संबंध में, अधिनियम की धारा 15(1)(बी) में प्रावधान है कि शुल्क की दर की गणना उस तारीख पर लागू दर और मूल्यांकन के अनुसार की जाएगी जिस दिन माल वास्तव में गोदाम से निकाला जाता है। (देखें: डी.सी.एम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 3)।

21. अधिनियम की धारा 72, जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, गोदाम से माल को अनुचित तरीके से हटाने के परिणामों का प्रावधान करती है। यह इस प्रकार है:

"72. गोदाम से अनुचित तरीके से हटाया गया माल, आदि-

(1) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में, अर्थात्, -

(ए) जहां धारा 71 के उल्लंघन में किसी गोदाम में रखे सामान को गोदाम से हटा दिया जाता है;

(बी) जहां किसी गोदाम में रखे गए सामान को उस अवधि की समाप्ति पर गोदाम से नहीं हटाया गया है, जिसके दौरान ऐसे सामान को धारा 61 के तहत गोदाम में रहने की अनुमति है;

(सी) जहां किसी भी गोदाम में रखे गए सामान को धारा 64 के तहत शुल्क के भुगतान के बिना नमूने के रूप में लिया गया है;

(डी) जहां कोई भी सामान जिसके संबंध में धारा59 के तहत एक बांड निष्पादित किया गया है और जिसे घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए

मंजूरी नहीं दी गई है, उचित अधिकारी की संतुष्टि के लिए विधिवत हिसाब नहीं दिया गया है,

उचित अधिकारी मांग कर सकता है, और ऐसे सामान का मालिक तुरंत ऐसे सामान के संबंध में देय सभी दंड, किराया, ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ शुल्क की पूरी राशि का भुगतान करेगा।

(2) यदि कोई मालिक उप-धारा (1) के तहत मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी, किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मालिक को नोटिस के बाद हिरासत में ले सकता है और बेच सकता है (माल का कोई भी हस्तांतरण) इसके बावजूद) उसके माल का इतना पर्याप्त हिस्सा, यदि कोई हो, गोदाम में, जैसा कि उक्त अधिकारी चयन कर सकता है।"

22. धारा 72 के दायरे और अभिप्राय की जांच इस न्यायालय द्वारा केसोराम रेयोन (सुप्रा) में की गई थी। यह माना गया कि:

"13. जो सामान अनुमत अवधि के भीतर गोदाम से नहीं हटाया जाता है, उसे गोदाम से अनुचित तरीके से हटाया गया सामान माना जाता है। ऐसा अनुचित निष्कासन तब होता है जब सामान अनुमत अवधि या उसके अनुमत विस्तार से परे गोदाम में रहता है। आयातक का माल पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है आैर, आवश्यक रूप से, यह गोदाम से उनके हटाए जाने की मानी गयी तारीख पर लागू

दर पर देय होगा, यानी वह तारीख जिस पर अनुमत अवधि या इसके अनुमत विस्तार खत्म हुआ।

14. धारा 15(1)(बी) उन मामलों में लागू होती है जहां माल को गोदाम से धारा 68 के तहत निकाले गए माल पर जो आयात पत्र प्रस्तुतीकरण पर घरेलू उपभोग के लिए तथा; शुल्क का भुगतान, ब्याज, जुर्माना, किराया और अन्य शुल्क; और गृह हटाने के लिए एक आदेश हो। धारा 68 के प्रावधान और, परिणामस्वरूप, धारा 15(1)(बी) केवल तभी लागू होते हैं जब माल को अनुमत अवधि या उसके अनुमत विस्तार के भीतर गोदाम से हटा दिया गया हो, न कि तब जब, जब तक कि वे समय सीमा से परे गोदाम में रह गए हों। अनुमत अवधि या इसके अनुमत विस्तार के मामले में, माल को धारा 72 के तहत गोदाम से अनुचित तरीके से हटाया गया माना जाएगा।"

23. हम इस बिंदु पर कानून के प्रतिपादन से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। यह स्पष्ट है कि धारा 15(1)(बी) केवल तभी लागू होगी जब माल अधिनियम की धारा 68 के तहत गोदाम से साफ किया जाता है, यानि, प्रारंभिक अनुमत अवधि के भीतर या अनुमत विस्तारित अवधि के दौरान। यह कहना सामान्य है कि जब अनुमत अवधि या इसके अनुमत विस्तार की समाप्ति के बाद माल को गोदाम से हटा दिया जाता है, तो अधिनियम की धारा 72(1)(बी) के तहत माल को अनुचित तरीके से हटाया गया माना

जाएगा। इसका परिणाम यह है कि शुल्क की दर की गणना धारा 61 के तहत अनुमत अवधि की समाप्ति की तारीख पर लागू दर के अनुसार की जानी है।

24. हालांकि यह सच है कि ईपीसीजी योजना के तहत दिए गए लाइसेंस की शर्त 6 उन सामानों के लिए वैध थी जो पहले ही भेज दिए गए थे लेकिन मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि योजना के तहत दी गई छूट का लाभ पहले से ही आयातित सामान केवल उन्हीं सामानों के संबंध में उपलब्ध होगा जो अधिनियम की धारा 68 के तहत मंजूरी दे दिए गए हैं। हमारी राय में, उक्त खंड की कोई भी अन्य व्याख्या अधिनियम की धारा 72 को निरर्थक बना देगी, और इसके परिणामस्वरूप उक्त योजना एक माफी योजना के रूप में काम करेगी, जिससे आयातक को एक अनपेक्षित और अनुचित लाभ मिलेगा, जिसे आमतौर पर टाला जाना चाहिए। (देखें: महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम स्वानस्टोन मल्टीप्लेक्स सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड)"। यह भी निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रावधान क़ानून के प्रावधानों के साथ किसी भी टकराव को रोकने के लिए किसी अधिसूचना को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझा जाना चाहिए। (देखें: गुडूर किशन राव और अन्य बनाम सुतीर्थ भट्टाचार्य और अन्य)

25. इसलिए, हमारी राय है कि प्रतिभा प्रोसेसर्स(सुप्रा) में निर्णय, जिस पर अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भारी निर्भरता रखी गई है, तथ्यों पर स्पष्ट रूप से भिन्न है, इस तथ्य के अलावा कि उस मामले में मंजूरी माल अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत था, अधिनियम की धारा 72(1)(बी) के आयात पर विचार नहीं किया गया। इसके विपरीत, केसोराम रेयॉन (सुप्रा) में निर्धारित आदेश मौजूदा तथ्यों पर आधारित है, और इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

26. उपरोक्त कारणों से, अपीलें, किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण, रुपये की लागत के साथ खारिज कर दी जाती हैं। 25,000/-

एन.जे. अपीलें खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **राजकुमार (आर.जे.एस. जिला न्यायाधीश संवर्ग)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है ओर किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक ओर आधिकारिक उददेश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा ओर निष्पादन ओर कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।